2019 की सोलर नीति के अनुसार ही व्यवसायियों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में राहत दें : हाईकोर्ट

अदालत ने राज्य सरकार तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवसायियों ने 2019 की नीति के तहत ही छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिये निवेश किया था

- जैसा कि विदित है कि इस नीति के तहत व्यवसायियों को सात साल तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने से राहत दी गई थी परंतु राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरूद्ध जाते हुए व्यवसायियों से ड्यूटी वसूल रही थी और इसके एवज में बिल भी जारी कर रही थी
- हाईकोर्ट ने ड्यूटी वसूले जाने पर अंतरिम रोक लगाई है और कंपनियों के खिलाफ कोई भी उत्पीड़क कार्यवाही करने पर भी रोक लगाई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने इमारतों की छत पर (रूफ टॉप) सोलर पैनल लगाकर व्यवसायिक उपयोग के लिये बिजली उत्पादन करने से जुड़ी कंपनी इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को राहत देते हुए आदेश दिये हैं कि राज्य सरकार अपनी 2019 की सोलर नीति के अनुसार इस कंपनी से बिजली उत्पादन के लिये इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना वसूलें और ना ही कोई अवपीड़क कार्यवाही ना करें।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश 20 अक्टूबर को दिये थे जिसकी आदेश की प्रतिलिपि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की ओर से एडवोकेट अनंत कासलीवाल और उनके सहायक वकील वैभव कासलीवाल और शशांक कासलीवाल पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि 2019 में राज्य सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी जारी की थी जिसकी धारा 16.4 के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों पर आने वाले सात वर्ष तक राजस्थान सरकार और जयपुर विद्युत वितरण निगम इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। परंतु अपनी ही नीति के विरूद्ध जयपुर विद्युत वितरण निगम कई बिजली उत्पादकों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल रही थी और बिल भी जारी कर रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने छत पर सोलर प्लांट के नये प्रोजेक्ट के लिये यह छूट हटा दी है।

परंतु हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे कई मामले दायर किये गये जिनमें कंपनियों ने 2019 की नीति के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाये थे। इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार नये आने वाले प्रोजेक्टों के लिये तो छूट हटा सकती है पर जो 2019 की नीति के तहत ये लगाये गये हैं उन पर यह छूट लागू रहेगी। ऐसा ही एक याचिका एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी जिसमें सीनियर अधिवक्ता संदीप जौहरी और उनके सहायक अधिवक्ता शुभंकर जौहरी पैरवी के लिये पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकती और इन कंपनियों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नही वसूल सकती।

राजस्थान सोलर एसोसियेशन ने भी इस वर्ष हाईकोर्ट के समक्ष सरकार की 2019 की नीति के विरूद्ध इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूले जाने के कई मामले दर्ज किये गये थे। जिनमें हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट ने एपीएम इंडस्ट्रीज राहत देते हुए उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर अंतरिम रोक लगाई थी। इन मामलों की तर्ज पर हाईकोर्ट ने इमामी एग्रोटेक को भी राहत दी है और उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर भी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लाहौल स्पीति में कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया।

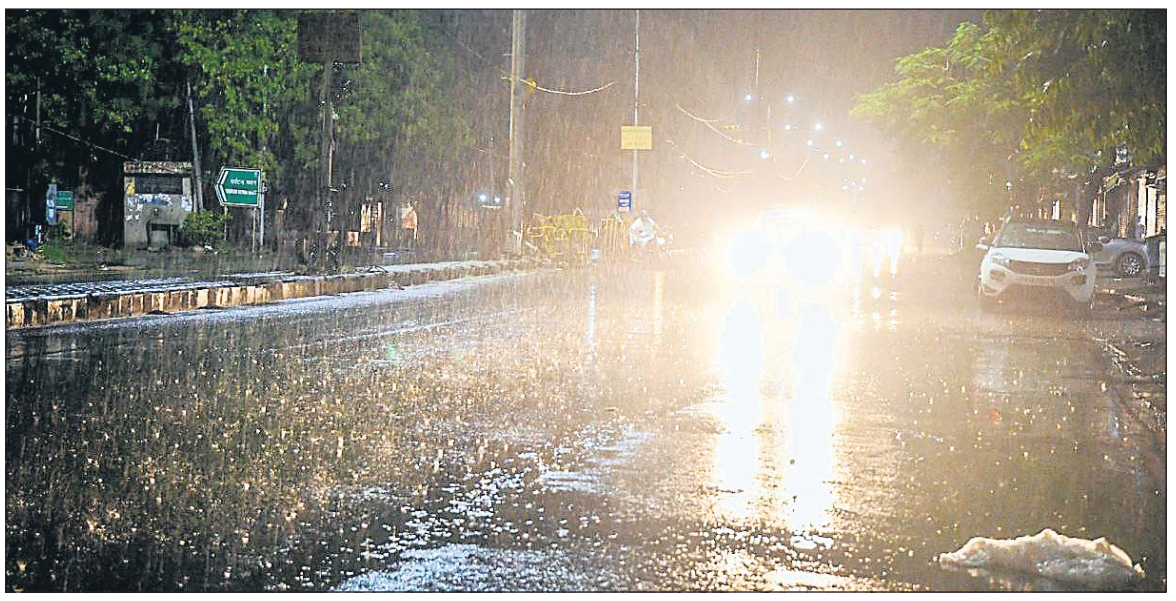

मंगलवार को चन्द्रग्रहण के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में तीव्र हवाओं के साथ बारिश होने लगी जो देर रात तक रूक-रूक कर चलती रही। इससे शहर में सर्दी बढ़ने से लोग गर्म कपड़े पहने नजर आये।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत

जयपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ब्राहमण समाज राजस्थान ने स्वागत किया है। प्रदेशाध्यक्ष अंबिका प्रकाश पाठक ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने केन्द्र की मोदी सरकार के उस फैसलें पर मोहर लगा दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया था। इस निर्णय के खिलाफ कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन जीत आखिरकार सत्य की हुई और गरीब व कमजोर सवर्ण को भी संबल मिला है। इस आरक्षण पाने के लिये लगभग दो दशकों तक संघर्ष किया और केन्द्र सरकार ने आरक्षण से वंचित सवर्ण जातियों को भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण दिया।

प्रदेश में 31 नए करोना संक्रमित मिले मंगलवार को

जोधपुर में सर्वाधिक 6 नए मरीज सामने आए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में फिर वृद्धि हुई है। इस दौरान मंगलवार को 31 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 18 रोगियों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले सात दिनों से करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 10 जिलों में 31 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 23 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा 6 नए संक्रमित जोधपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा पाली में 5, जयपुर व अलवर में 4-4, बीकानेर व सीकर में 3-3, प्रतापगढ़ और अजमेर में 2-2 तथा भरतपुर और सवाई माधोपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 5708 जांचे की गई।

- राज्य में फिर रिकवरी में कमी आने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं।

प्रदेश में मंगलवार को केवल 18 ही संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही फिर एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में कोई भी मरीज रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 106 हो गए हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9646 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को गोपालपुरा, कोटपूतली, मालवीय नगर और मानसरोवर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा : कश्मीरी लाल

- स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह

जयपुर। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कश्मीरी लाल स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक को राजापार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जागृत होने से देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है। संघ की प्रेरणा से चल रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से देश के युवाओं में एक नई चेतना जागृत हुई है। उसी का परिणाम है कि अब युवा सरकारी नौकरी के बजाय स्वयं का रोजगार शुरू कर लोगों को नए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि देश में आज स्वदेशी, स्वरोजगार व स्वावलंबन का भाव उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉ शैलेंद्र ने कहा कि आज स्वदेशी का स्वावलंबन अभियान पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और अब लोग वस्तुओं को खरीदने से पहले स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का आंकलन करने लगे हैं। मंच के प्रांत संयोजक देवेंद्र भारद्वाज ने प्रांत कार्यकारिणी में राजेश शर्मा को कोष प्रमुख एवं धर्मेंद्र शर्मा को सह संपर्क प्रमुख के पद पर नियुक्त किया साथ ही स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा उद्यमियों को मंच पर बुलाकर स्वदेशी का दुपट्टा देकर सम्मानित कराया और उनके स्टार्टअप्स को राष्ट्र की उन्नित में अधिक भागीदारी निभाने की शुभकामनाएं देकर उनका उत्साहवर्धन किया। महिला कार्य प्रमुख अर्चना मीणा ने स्वावलंबी भारत अभियान के डिजिटल प्लेटफार्म माय एसबीए में अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का आव्हान किया। मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार डॉ धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि स्वरोजगार करने वाले युवाओं की छोटी-छोटी कहानियां भी प्रेरणा के रूप में समाज के बीच लाई जानी चाहिए। मंच के क्षेत्र संयोजक डॉ.सतीश आचार्य ने कहा कि स्वदेशी को लेकर देशभर में एक सकारात्मक व अनुकूल माहौल का निर्माण हुआ है। प्रांत प्रचार प्रमुख डा धर्मवीर चंदेल ने बताया कि इस अवसर पर प्रांत संगठक मनोहर शरण का स्थानांतरण गुजरात होने पर उन्हें सभी कार्यकर्ताओं ने भावभीनी विदाई दी।

बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी

जयपुर। शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से पेश कुल 28 अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है। लिखित बहस के बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है।

कॉलेज शिक्षा आयुक्त बताए क्यों नहीं की आदेश की पालना?

- हाईकोर्ट के आदेश के वाबजूद निजी कॉलेज को स्थाई एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज को सत्र 2020-21 की स्थाई एनओसी जारी करने के अदालती आदेश के बावजूद एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त को 28 नवंबर को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि आदेश की पालना हो जाती है तो कॉलेज आयुक्त को पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश जामिया मदरसा एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आत्माराम मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज शिक्षा विभाग में वर्ष-2020-21 की स्थाई एनओसी के लिए आवेदन किया था। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जिस पर गत वर्ष 2 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एक माह में एनओसी जारी करे। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब 11 माह बीतने के बाद भी विभाग ने अब तक एनओसी जारी नहीं की है।

ऐसे में अदालती आदेश की पालना कराई जाए और अवमानना कर्ता अफसरों को दंडित किया जाए। वहीं याचिका में जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने 28 नवंबर तक आदेश की पालना नहीं होने पर कॉलेज शिक्षा आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

धर्मांतरण का राज्य सरकार को संरक्षण : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में धर्मांतरण के मामले पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान कितना असुरक्षित है, इसका नमूना धर्मान्तरण है, राज्य में लव जेहाद और लैण्ड जेहाद की घटनाएं होती रही हैं, आवाज उठाने पर धर्मान्तरण थोड़े दिन के लिये रुका था, लेकिन अब फिर से हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोती रही, कमज़ोर लोगों को सुनियोजित तरीके से टार्गेट किया जाता है, धर्मांतरण के मामलों में भोले, आर्थिक कमजोर और निर्बल लोगों को टार्गेट कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मन्त्री भी हैं और उनकी नाक के नीचे यह हो रहा। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्मांतरण को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस की तुष्टिकरण और वोट बैंक की सियासत के तार भी इससे जुड़े हो सकते हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।

मुख्य सचिव सहित अन्य को अवमानना नोटिस

- शिक्षक की लंबित विभागीय जांच के संबंध में दिये आदेश की पालना नहीं करने पर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक की लंबित विभागीय जांच के संबंध में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षाधिकारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश ममता की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत नौ मार्च को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय जांच को छह माह में निस्तारित किया जाए। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संशोधित आरोप पत्र पुनः जारी कर दिया और विभागीय कार्रवाई जारी कर रखी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को विभागीय अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता की विभागीय जांच को निस्तारित किया जाए और अदालत अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई करे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

आमेर में पैदल मार्च आज

जयपुर। देश और दुनिया में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों के निर्माण और पीने के पानी की सप्लाई माँग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में आमेर तहसील का 9 नवंबर को घेराव कर गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। भाजपा, आमेर शहर मंडल द्वारा आयोजित पैदल मार्च कल 9 नवंबर को कुंडा तिराहे से आमेर तहसील तक निकाला जायेगा।

शोक संदेश

हमारे पूजनीय **श्री जगदीश नारायण माथुर** (नाग दौसा) का स्वर्गवास 8.11.22 को हो गया। शव यात्रा 9.11.22 को प्रातः 10:00 बजे हमारे निवास डी-105, देवी मार्ग, बनीपार्क से चांदपोल श्मशान घाट जावेगी। तीये की बैठक 10.11.22 को सांय 4:00 से 5:00 बजे, चित्रगुप्त ज्ञान मंदिर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- शैलेन्द्र- कविता, राजीव- कृतिका (पुत्र- पुत्रवधु), पिंकी (पुत्री), नवरत्न- अरुणा, निर्मला (भाई- भाभी), ललिता (बहन), विजय- साधना, गोविन्द- डॉली (भतीजा- बहू), मधु- देवेन्द्र (भतीजी- दामाद), चर्चित, खुश्बू, हर्षिता, नुपुर, खनक (पौत्र, पौत्री), पारितोष (दोहिता)। ससुराल पक्ष की बैठक साथ ही होगी

8890662908, 8696663614

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

गुरु नानक देव ने सम्पूर्ण मानवता को भाईचारे का संदेश दिया : राज्यपाल

गुरू नानक जयन्ती के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजा पार्क गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कीर्तन में भाग लिया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर मंगलवार को राजा पार्क गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दिवान आयोजन में भाग लिया।

राज्यपाल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पूरे देश में घूम-घूम कर भाईचारे एवं प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। हमें उनके संदेशों के अनुसार अपने आचरण एवं व्यवहार को ढालते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, विधायक सतीश पूनिया, कालीचरण सराफ, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबी एवं अनुयायी उपस्थित रहे।

युवाओं ने मिश्र से भेंट की

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र से मंगलवार को राजभवन में भारत को जानें कार्यक्रम के तहत 14 देशों से आए विदेशों में रह रहे भारतीय युवा प्रतिभागियों ने मुलाकात की।

आम सूचना दि. 07.11.2022

मेरे अभिभाष्यगण बाबूलाल बोयत पुत्र स्व. श्री प्रहलाद एवं श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री बाबूलाल बायेत, पता-प्लॉट नम्बर-87/1, वाल्मिकी कॉलोनी, सेक्टर-01, मालवीय नगर, जयपुर राज.-302017 निवासी है। अपने बड़े पुत्र सुनील बोयत पुत्र बाबूलाल बोयत व बडी बहू श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री सुनील बोयत दोनों ही मेरे अभिभाष्यगण के कहने, सुनने में नहीं है तथा उनको छोड़कर चले गये हैं। इसलिए मेरे अभिभाष्यगण अपनी समस्त प्रकार की चल- अचल सम्पतियों, सामाजिक सम्बन्धों से सुनील बोयत व सरिता देवी व उनके वारिसान को बेदखल करते हैं। आज के पश्चात् मेरे अभिभाष्यगण की चल- अचल सम्पतियों में इनका कोई हक, अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था इत्यादि इनसे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।

भवदीय

(सुनील कुमार पहूना) - एडवोकेट मो. न. 7690050078

न्यायालय तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक/भू.अ./2022/6789 दिनांक- 7.11.2022

सार्वजनिक सूचना नोटिस सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरिसिंह, प्रहलाद सिंह, दुर्गासिंह, गोविन्द सिंह, रतनसिंह पिता नारायण सिंह जाति दरोगा निवासी बेणियाकाबास, तहसील जोबनेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक नारायण पुत्र रूडा जाति दरोबा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 32/1, 36, 37/2 किता 3 रकबा 9.028 हैक्टेयर वाके ग्राम बेणियाकाबास का वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः यदि किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 23.11.2022 तक पेश करें अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार, जोबनेर (जयपुर)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/2022 दिनांक-07.11.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 104/117 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 122.25 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री चिरंजी लाल दाधीच पुत्र श्री मांगीलाल दाधीच को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7903 दिनांक 30.04.1993 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.08.1993 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3366 दिनांक 4.11.1996 के द्वारा श्री चिरंजीलाल दाधीच पुत्र श्री मांगीलाल दाधीच के नाम अंतिम प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 17.03.1998 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री चिरंजी लाल दाधीच की मृत्यु दिनांक 25.08.2015 को हो जाने के कारण मृतक के दो वारीश पुत्र आवेदक स्वयं श्री राजेश चिरंजी लाल दाधीच एवं दुसरे पुत्र द्वारा श्री राजेश चिरंजीलाल दाधीच के पक्ष में मुख्त्यारनामा आम नियुक्त कर्ता श्री रविन्द्र दाधीच के संयुक्त नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया गया। श्री रविन्द्र दाधीच एवं श्री राजेश चिरंजीलाल दाधीच पुत्रान स्व. श्री चिरंजी लाल दाधीच के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक रविन्द्र दाधीच एवं श्री राजेश चिरंजीलाल दाधीच पुत्रान स्व. श्री चिरंजी लाल दाधीच के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

NAME CHANGE

I have Changed my Name from Sayyed Suleman afzal Ali to Sayyed Suleman Ali in future vill. Amarsar ward No. 16, Pathano Ka Bas Tehsil Shahpura Dist. Jaipur.

I have Changed my Name from Syed Afzal Ali to Sayyed Afzal Ali in future vill. Amarsar ward No. 16, Pathano Ka Bas Tehsil Shahpura Dist. Jaipur.

I, Yunus Moosa Khimani S/o Moosa Umar Khimani solemnly declare that I have change my name from Mohamed Yunus Moosabhai Khimani to Yunus Moosa Khimani R/o Rahat, 43, Vardhman Nagar-B, Near 200 Ft. Bypas, Ajmer Road, Jaipur (Raj.)-302019 for all future purposes.

I, Bhaveshraj Singh Chouhan S/o Natwar Lal R/o Sargado Ka Vas, Bhavri, Sirohi, Rajasthan-307023 have changed my minor son's name from Aarav Chouhan aged 3 years to Aaravraj Singh Chouhan forever.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्य फर्म VELVU TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED जरिये डायरेक्टर साकेत काबरा एवं श्रीमती संगीता ने सम्पति प्लाट नं. एफ-2, औधोगिक क्षेत्र बिंदायका, जयपुर, क्षेत्रफल 2412 वर्गमीटर को सम्पति मालिक- रिनविज पालखीवाला पुत्र श्री केसरी पालखीवाला प्रोपराईटर मैसर्स पालखीवाला ट्रेडर्स से क्रय कर रहे है। उक्त क्रय के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था, बैंक, वित्तिय संस्थान,कम्पनी इत्यादि को आपत्ति, उज्र हो तो प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस में व्यतीशः/ लिखित में सुचित करें अन्यथा किसी वाद विवाद के लिये मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

भवदीय

(मुकेश सैन एडवोकेट) मो.नं.-93145-63517,98877-58877

कार्यालय 19-बी, खालसा कालोनी, सुरजपोल रोड, जयपुर।

fincare Small Finance Bank

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. **www.fincarebank.com**

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
22660000016572	MRS. KOMAL SINGH	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, PLOT NO.5, SHAKTI NAGAR, TRIVENI CHOURAHA BYPASS, JAIPUR, RAJASTHAN, 302015	11/11/2022
22660000020993	KAVITA		
22660000052612	MR. VIKAS KUMAR VERMA		
22660000274244	MR. AJAY SINGH		
22660000292870	AJAY SINGH		
21660000772329	ANJU BAI	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, 386-SHOPPING CENTER, GHODE WALE BABA CROSS ROAD, BESIDE SANCHIT TOWER, GUMANPURA ROAD, KOTA, RAJASTHAN, 324007	11/11/2022
21660000813333	PRADEEP KASHYAP		
21660000832707	MS. NIRAJA JOLLY		
21660000837098	RAM SHARAN MEENA		
22660000011081	MANOJ KUMAR		
22660000034747	SAIDAN BEGAM		
22660000047132	SATYANARAYAN		
22660000051454	SURJEET GOCHER		
21660000779966	BHUPENDRA SEN	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, 16C, MANOHAR HEIGHTS, 1 MADHUBAN BANK STREET, OPPOSITE ICON TOWER, UDAIPUR, RAJASTHAN, 313001	11/11/2022
21660000837788	MAHENDRA KUMAR DHANDHORIYA		
22660000009655	JUZAR HUSSAIN		
22660000455724	GOVIND SAIN	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, SHOP NO-2 & 3, A-235, GURU JEMBESHWAR NAGAR, GANDHIPATH, QUEENS ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN, 302021	11/11/2022
21660000801406	SEEMA	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; A/23, BAPU NAGAR, ROAD NO.13 ,SETHI, NEAR SBI BANK, CHITTAURGARH, RAJASTHAN, 312001	11/11/2022
21660000812605	VIJAY KUMAR SHARMA		
22660000010612	BADRI LAL		
22660000555086	MR. DURGA SHANKAR CHASTA		
22660000051624	PRAKASH OJHA	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; 1ST FLOOR A-1 PLAZA PLOT NO.163, NEAR UIT OFFICE SUBASH NAGAR, AJMER ROAD, BHILWARA, RAJASTHAN, 311001	11/11/2022

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.